

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Misc. Case No.- 10/2025

Dilip Kumar Ray Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors. Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.9.26	आदेश प्रस्तुत विविध वाद जिला स्तरीय चयन समिति, किशनगंज द्वारा दिनांक-26.02.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 36(IV) के अंतर्गत दायर किया गया है। मामले का सारांश यह है कि :- - किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के पंचायत कमलपुर में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नयी अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक-26.02.2022 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उक्त पंचायत क्षेत्र के लिए प्रकाशित मेधा सूची में अनुसूचित जाति कोटि के लिए विपक्षी सं०-6 एवं 7 (नरेश कुमार हरिजन एवं अजय पासवान) का चयन किया गया। - जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति हेतु औपबंधिक मेधा सूची के संदर्भ में प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण से संबंधित प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन पत्र भरते समय कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में कुछ भी अंकित नहीं किया गया था, परन्तु दावा/आपत्ति के साथ कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा किया गया। चूंकि आवेदन पत्र में अंकित सूचना विवरणी के अतिरिक्त दावा/आपत्ति में जमा किये गये किसी भी प्रकार की सूचना/कागजात मान्य नहीं है, इसलिए आवेदक द्वारा दाखिल कम्प्यूटर प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी गयी। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अनुसार अनुज्ञप्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने में कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी, कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जायेगा। उपरोक्त के आलोक में आवेदक का चयन अनुज्ञप्ति हेतु नहीं किया गया।	



9/

आवेदक का कथन :-

- आवेदक का नाम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के नये अनुज्ञप्ति हेतु तैयार औपबंधिक सूची में क्रमांक 04 पर दर्ज है एवं इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है जिसमें इन्हें 52.8 प्रतिशत अंक प्राप्त है, जो विपक्षी सं0-06 को स्नातक में प्राप्त अंक से अधिक है। विपक्षी सं0-07 की शैक्षणिक योग्यता मात्र इंटर है। साथ ही इनके द्वारा दावा/आपत्ति समय सीमा अंतर्गत ही दिनांक-23.12.2021 को कम्प्यूटर प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी जिला चयन समिति, किशनगंज द्वारा इनका चयन नहीं किया गया।

समर्पित दस्तावेजों की सूची :-

- औपबंधिक एवं अंतिम मेधा सूची की छायाप्रति।
- चिकित्सा पुर्जा की छायाप्रति।
- दावा/आपत्ति के प्राप्ति रसीद की छायाप्रति।
- विभिन्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- जिला पदाधिकारी को विभिन्न तिथियों में प्रेषित आवेदन की छायाप्रति।

विपक्षी सं0-06 एवं 07 का कथन :-

- विपक्षी सं0-06 (नरेश कुमार हरिजन) एवं 07 (अजय पासवान) द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया, जिसके उपरांत जिला चयन समिति, किशनगंज द्वारा उनको अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश दिया गया।
- विपक्षीगण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरांत से जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दुकान सुचारु रूप से निष्ठापूर्वक चला रहे हैं और किसी भी ग्राहक को इनसे कोई शिकायत नहीं है।
- अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान के संबंध में कोई सूचना अंकित नहीं की गयी और न ही उनके द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। जिस कारण उनका चयन अनुज्ञप्ति हेतु नहीं किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के पंचायत कमलपुर में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नयी अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक-26.02.2022 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें आवेदक का चयन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में कुछ भी अंकित नहीं किया गया था। आवेदक द्वारा दावा/आपत्ति के साथ



25

कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा किया गया। चूँकि आवेदन पत्र में अंकित सूचना विवरणी के अतिरिक्त दावा/आपत्ति में जमा किये गये किसी भी प्रकार की सूचना/कागजात मान्य नहीं है, इसलिए आवेदक द्वारा दाखिल कम्प्यूटर प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी गयी। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में कोई नवीन बिन्दु/साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया है, जिससे जिला चयन समिति, किशनगंज द्वारा पारित आदेश का खंडन हो सके।

अतः उपरोक्त के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ इस विविध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजे।

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।


आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

